FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां, भीलवाड़ा

नरेश कुमार बनाम भंवरसिंह

किस्म मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 191 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 17/11/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
17/11/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक परिषद बिजौलियाँ द्वारा कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली दिनांक 1/12/25 को वास्ते तामील पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
1/12/2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/12/25 को वास्ते तामील पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
16/12/25	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगणों की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया। विपक्षीगणों को 3 बार आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ, विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए, पत्रावली में आदेश पारित किए गए, पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 191/25

तारीख दायर 31/10/25

1. नरेश कुमार पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. नरोत्तम पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. महेन्द्र कुमार पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. राजी देवी उर्फ कैलाश बाई पत्नि मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सुगनलाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थीगण

बनाम्

1. भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाशचन्द्र पुत्र अम्बालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 16/12/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगणो ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम चांदजी की खेड़ी पटवार हल्का चांदजी की खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 420 पर अंकित आराजी संख्या 1026, 1034, 1035, 1172/1027 कुल किता 4 रकबा 2.8246 हैक्टेयर** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 191/25 तारीख दायर 31/10/25
प्रेषिति :– निर्णय :- 16/12/2

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....191........./ 2025 पत्थरगढ़ी बाबत्।

1. नरेश कुमार पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. नरोत्तम पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. महेन्द्र कुमार पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. राजी देवी उर्फ कैलाश बाई पत्नि मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. सुगनलाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थीगण

बनाम्

1. भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपुत उम्र बालिग निवासी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. कैलाशचन्द्र पुत्र अम्बालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम चांदजी की खेड़ी पटवार हल्का चांदजी की खेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 420 पर अंकित आराजी संख्या 1026, 1034, 1035, 1172/1027 कुल किता 4 रकबा 2.8246 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **सलावटिया** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ